विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-30/16

मेसर्स जी.एम. मेटल्स, — आवेदक
प्रो. — श्री अनिल चौहान,
53, प्रिती नगर, पीथमपुर
जिला— धार (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालक यंत्री (संचा./संधा.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पीथमपुर, धार (म.प्र.)

पुनरीक्षित आदेश

(दिनांक 08.11.2017 को पारित)

मेसर्स जी.एम. मेटल्स, पीथमपुर धार द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के पत्र दिनांक 25.2.2017 द्वारा आवेदक की शिकायत (एनेक्सर–2) जिसमें उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत निकाली गई रिकवरी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत कालवाधित होने से निरस्त करने की मांग की थी।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा संज्ञान में लेते हुए प्रकरण अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत है, अतः फोरम को धारा 126 के प्रकरण सुनने का अधिकार नही होने पर आवेदक की शिकायत निरस्त कर दी थी। (एनेक्सर–1)

फोरम के आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के सम्मुख अपील प्रस्तुत की गई। (एनेक्सर–3) इस अपील में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके द्वारा न तो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाये गये प्रकरण पर आपत्ति ली है और ना ही अनुज्ञप्तिधारी के निर्धारण आदेश पर आपत्ति ली है। उनके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत अनावेदक द्वारा निकाली गई वसूली को कालवाधित होने के कारण निरस्त करने का अनुरोध किया है।

विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण में विभिन्न तिथियों पर सुनवाई करने के बाद तथा विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं म.प्र. शासन द्वारा धारा 126 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अवलोकन के पश्चात आवेदक की अपील स्वीकार करते हुए दिनांक 18.5.2017 को आदेश जारी किया। जिसके अनुसार अनावेदक द्वारा निकाली गई रिकवरी को अधिनियम की धारा 56(2) के तहत कालवाधित पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया।

अनावेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के उक्त आदेश के तहत माननीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 के विनियम 5.3 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। माननीय आयोग द्वारा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 के विनियम 4.11 के तहत विद्युत लोकपाल को उक्त आदेश को पुनः सुनवाई करने के उपरांत आदेश की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया।

दिनांक 9.10.2017 को उभय पक्षों को बुलाकर सुनवाई प्रारंभ की गई, जिसमें आवेदक द्वारा पुनः अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत बनाये गये प्रकरण को चुनौती नहीं दी है वल्कि उनके द्वारा निकाली गई रिकवरी कालवाधित होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अंतर्गत वसूल करने योग्य नहीं है को चुनौती देते हुए वसूली निरस्त करने का अनुरोध किया है।

जबकि अनावेदक द्वारा प्रकरण अधिनियम की धारा 126 के तहत बनाये जाने के कारण एवं उस पर निकाली गई रिकवरी को अधिनियम की धारा 56(2) में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, के बारे में अपना तर्क दिया।

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात यह पाया गया कि अनावेदक का कथन कि अधिनियम की धारा 126 के तहत निकाली गई रिकवरी को अधिनियम की धारा 56(2) के तहत परिवर्तित कर निरस्त नहीं किया जा सकता के बारे में कोई भी प्रावधान ना तो विद्युत अधिनियम 2003 में और ना ही म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 में और ना विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में प्रावधान है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रकरणों को विद्युत लोकपाल द्वारा नहीं सुना जाएगा ऐसा प्रावधान भी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009 में नहीं है।

दिनांक 9.10.2017 को सुनवाई के दौरान प्रकरण में अनावेदक द्वारा अपने पक्ष में कोई नया दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आधार पर विद्युत लोकपाल के आदेश की समीक्षा की जाए।

अतः विद्युत लोकपाल के आदेश दिनांक 18.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल